

#### The Uttar Pradesh land Development Tax Adhiniyam, 1972 Act 35 of 1972

**Keyword(s):** 

Mediate (Madhyavarti), Annual Value, Khaykar, Land, Tax or Land Development Tax, Adna Malik, Land, Khaykar, Land, Tax or Land Development Tax, Adna Malik, Krishi Bhumighar, Hissedari

Amendment appended: 35 (B) of 1972

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

# उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संस्या 35, 1972)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

ग्रामीण विकास की कतिपय योजनाओं के लिये रक्षित संसाघनों को जुटाने के उद्देश्य से कृषि मूमि पर कर आरोपित करने तथा तत्संबंधी विषयों की ब्यवस्था करने के लिए

#### अधि नियम

भारत गणराज्य के तेईसर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—मंक्षिप्त नाम प्रसार तथा जाज्यभ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इ सका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 जुलाई, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जामगा। 2—प्रशिक्षाच एं—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

\*(क) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवच में पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, दवामी काश्तकार, हिस्सेदार (परगना असकोट के हिस्सेदार से मिन्न) अपनी ऐसी मूमि के

\*नीचे उद्घृत घारा 2 का खंड (कक), जो 1976 का उत्तर प्रदेश अघिनियम संख्या 35 की घारा 39 के द्वारा निकाला जा चुका है, पूर्व में उत्तर प्रदेश अघिनियम संख्या 8,1975 की घारा 30 द्वारा है जोड़ा गया था:—

"(कक) 'वार्षिक मूल्य' का तात्पर्यं—

(1) किसी मूमिघर की दशा में, ऐसे मूमिघर द्वारा देय अथवा देय समने गये मू-राजस्व के दुगुने के बराबर धनराशि,

(2) किसी सीरदार अथवा मध्यवर्ती की दशा में, ऐसे सीरदार अथवा मध्यवर्ती द्वारा देय अथवा देय समझे जाने वाले मू-राजस्व के बराबर घनराशि, तथा

(3) किसी सरकारी पट्टेदार की दशा में, ऐसे पट्टेदार द्वारा देय क्यान के बराबर धनराशि,

से है,"

द्वारा घृत न हो अथवा परगना असकोट के गुँजारेदार से हैं;

- (स) 'सायकर' का वही तात्पर्य है जो कुमायूं तथा गढ़वाल हिवीजनों में प्रयोज्य मौमिक अधिकार से संबंधित वर्तमान विद्य में उक्त पर के लिये दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत मौक्सीदार या हलकारी माफीदार नहीं है;
- ्री("(ग) 'मूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट मूमि से है, जिसके संबंघ में, यथास्थिति , भू-राजस्व अथवा लगान निर्घारित हो, जिस्का निर्घारित किया जाना हो या उसका भुगतान किया जाना हो, अभैर जो
  - (1) किसी भूमिघर, सीरदार अथवा सरकारी पट्टेदार द्वारा, पा
- (2) किसी मध्यवर्ती द्वारा यदि मूमि उसकी निजी जीत में हो, या उसकी सीर या खुदकाश्त अथवा बाग के रूप में हो,

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मस्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से संबंधित प्रयोजनों के निमित्त धृत अथवा अध्यासित हो,"; ]

- (घ) 'कर' या 'मूमि विकास कर' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन देग कर से हैं;
- (इ) पद 'अदना मालिक' और 'मातहतदार' का वही अर्थ है जो उनके लिये यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1901), में दिये गये हैं;
- 1---निम्नांकित के स्थान पर 1975 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 की घारा 30 के द्वारा रक्का गया:---
  - "(ग) 'मूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट मूमि से है जिसके संबंध में राजस्व का निर्धारण या मुगतान किया जाय या किये जाने के लिये दायी हो, तथा जो—
    - (1) किसी भूमिघर या सीरवार द्वारा; या
    - (2) किसी मध्यवर्ती द्वारा, यदि मूमि उसकी निजी जोत में हो, मा उसकी सीर या खुदकास्त या बाग के रूप में हो—

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन सथा कुक्कुट पालन भी है, से संबंधित प्रयोजनों के निमित्त धृत या अध्यासित हो, (च) पद 'कृषि वर्ष', बाग, खुदकारत, जनव न पट्टपार प्याना या इस्तमरारी', 'दवामी काइतकार', 'सीर' और 'ठेकेदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939(यू० पी० ऐक्ट संख्या 17, 1939), में दिये गये हैं;

(छ) पद 1[भूमिघर, सीरदार, सरकारी पट्टेदार और स्वामी] के वही अर्थ हैं जो उनके लिये 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1950) का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये हैं; और

(ज) पद "हिस्सेदार" का वही अर्थ है जो कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और मूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1960) में उसके लिये दिया गया है।

3—करारोपण—प्रत्येक कृषि वर्षे के लिये सभी भूमि पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर से एक कर जो भूमि विकास कर कहलायेगा मारित तथा आरोपित किया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा;

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में, उक्त कर केवल आद्या भारित तथा आरोपित किया जायगा तथा उसका भृगतान किया जायगा।

4— बसूली की रीति— किसी मूमि पर आरोपण, और मुगतान के प्रयोजनार्थ, मूमि विकास कर ऐसी मूमि के संबंध में देय भू-राजस्व का माग समझा
जायगा और उसमें सम्मिलित किया जायगा, और तदनुसार, कर के संबंध में,
वधास्थित 1950 ई॰ का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और मूमि-व्यवस्था
अधिनियम का अध्याय 10 02 2 [] (बन्दोबस्त से संबंधित उपबन्धों को
अधिनियम का अध्याय 10 % टिन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 8 के उपबन्ध
छोड़कर) या यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 8 के उपबन्ध
और उक्त उपबन्धों के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन बनावे गये
कोई नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार
वे राजस्व के संबंध में लागू होते हों;

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्म होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में कर मू-राजस्व की रबी किस्त का भाग समझा जायेगा तथा उसमें सम्मिलित किया जायगा।

5—उपयोग—(1) प्रत्एक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विवि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहत निधि से भूमि-विकास कर के मद्दे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि

<sup>1—</sup>शब्द "मूमिषर, सीरदार और स्वामी" के स्थान पर उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1975 की घारा 30 द्वारा रक्खा गया।

<sup>2-1975</sup> का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 की धारा 31 द्वारा शब्द व अंक "घारा 247-ख और"निकाल दिये गये।

में से <sup>1</sup>[चालीस प्रतिशत] के बराबर धनराशि निकालेगी और उसे एक पृथक निधि में जमा करेगी जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास निधि कहलायेगी, और उक्त निधि में इस प्रकार की धनराशि का जमा किया जाना राज्य की संहत-निधि पर मारित व्यय होगा।

- (2) उत्तर प्रदेश ग्रामीण-विकास निधि से किसी भी धनराशि का, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्निलिखित प्रयोजनों के सिवाय, न तो भुगतान किया जायगा और न ही उसका प्रयोग किया जायगा:—
  - (क) सिंचाई;
  - (ख) चिकित्सा संबंधी सुविधायें, और सार्वजनिक स्वास्थ्य;
  - (ग) सड़कों का निर्माण और अमुरक्षण;
  - (घ) विद्युतीकरण;
  - (इ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैयजल सम्मरण।
- (3) उक्त निधि जिसके अन्तर्गत उसके जमा खात की धनराशि का निवैश या पुनर्निवेश भी है, का अनुरक्षण और संचालन इस अधिनियम के अर्धान बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगा।
- (4) प्रत्एक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विधिद्वारा यथोचित विनियो नि किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार संइत निधि में से पूमि विकास कर के महे पिछले वित्ती वर्ष में प्राप्त धनराशि में से 2[पचीस प्रतिशत] के बराबर धनराशि निकालेगी. और——
  - <sup>3</sup>["(क) इस प्रकार प्राप्त घनराशि के दस प्रतिशत के बगबर घनराशि में से अस्सी लाख रुपयों की घनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम

1—शब्द "साठ प्रतिशत" के स्थानपर 1975 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संस्था 8 की घारा 32 की उपधारा (1) द्वारा रक्खा गया।

2-1975 ा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 की घारा 32 की उप-धारा (1) के द्वारा शब्द "चालीस प्रतिशत" के स्थान पर रख दिये गये।

- 3—नीचे उद्घृत घारा 5 की उपचारा (4) के खंड (क) में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1975 की घारा 32 की उपधारा (2) द्वारा शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दश प्रतिशत" रक्खे गये थे और तदोपरान्त 1976 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 की बारा 40 (1) के द्वारा सम्पूर्ण खंड प्रतिस्थापित किया गया:—
  - "(क) इस प्रकार प्राप्त घनराशि के पंद्रह प्रतिशत के बराबर घन-राशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की घारा 99 के अधीन स्थापित जिला निषयों में उस अनुपात में जमा करेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अव-धारित करे:"

की गावों में पेत जल की योजनाओं को तयार, निष्पादित, प्राक्तत, प्रयातत और अनुरक्षित करने के लिये देगी और शेष धनराशि उतर प्रदेश क्षेत्रसमिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 99 के अधीत स्थापित जिलानिधि में में उस अनुपात योजमा करेगो, जिसे राज्य सरकार सामान्य या थिशेष आदेश द्वारा अवधारित करें";]

- (व) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के [पन्द्रह प्रतिशत] के बराबर धनराशि में से पचास लाग कपर्यों की धनराशि, राज्य विद्युत परिषद् कोऐसे प्रामों में जहाँ वियुतीकरण हो चुका हो, सड़कों पर रोशनी के लिये प्रयुक्त बिजली के लैम्पों को ऊर्जा के यथोचित सम्भरण हेतु देगी। और शेष को उन्त धारा 99 हे अर्थान स्थापित क्षेत्र निधियो तथा यू० पी० पंचायत राज अधिनियम, 1917 (उत्तर प्रदेश अधिनयम संख्या 26, 1947) की धारा 32 के अत्रीत स्थापित गाँव निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश हारा अवशरित करे।
- (5) उम्बारा (4) में उल्लिखित भन्यशियों का उस घारा के उम्बन्धों के अनुसार अयथ राज्य की संइत निधि पर भारित होगा।
- (6) उत्तर प्रदेश क्षेत्र संशित तथा जिला परिपद् अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961) या यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1947) जैसी मी दशा हो, में किसी बात के होते हुए मी—
  - (क) कोई जिला परिषद् जिला निधि में इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का, सिवाय प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा सड़कों के निर्माण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना, कार्यों के प्रयोजनार्थ, न तो मुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी;

<sup>1-1975</sup> का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 की घारा 32 की उवधारा (2) के द्वारा शब्द "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर रख दिये गये।

6—नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ राज्य निधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल तीस दिन की अविध पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अविध में करने के लिये सहमत हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

7—निरसन तथा अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश मूमि विकास कर अध्या-देश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए मी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई किया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई किया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 16 जून, 1972 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1972) को प्रवृत्त हो गया था।

#### (घारा 5 देखिए)

\*मूमि विकास कर नीचे विनिद्धिंट दरसे देय होगाः— क—किसी मूमिश्वर, सीरदार या सरकारी पट्टेदार की स्थिति में—

- (i) जिसके द्वारा और जिसके परिवार. . कुछ नहीं। के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में भृत समस्त मूमिका क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) सेअधिक न हो
- (ii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार.. उसके तथा उसके परिवार के के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में घृत सदस्यों द्वारा देय मू-राजस्व समस्त मूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर या लगान के एक-तिहाई (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 के बराबर बनराशि। हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक न हो
- (iii) जिसके द्वारा और जिसके परिवार.. उसके द्वारा या उसके परि-के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत वार के सदस्यों द्वारा समस्त भूमिका क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर देय भू-राजस्व या लगान के (6.25एकड़) सेअधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर आधे के बराबर घनराशि। (12.50 एकड़) सेअधिक न हो।
- (iv) जिसके द्वारा और जिसके परिवार.. उसके द्वारा या उसके परि-के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत वार के सदस्यों द्वारा देय समस्त मूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर मू-राजस्व या लगान के (12.50 एकड़) से अधिक हो बराबर घनराशि।

स्व--किसी मध्यवर्ती की स्थिति में .. उसके द्वारा देय मू-राजस्य या लगान के बराबर धनराशि।

स्वष्टोकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये 'परिवार' के अन्तर्गत ब्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चे हैं, चाहे वे उस ब्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं।

मळ अधिनियम की धारा 3 में बिणत निम्नौकित अनुसूची।

<sup>1-1976</sup> का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 की धारा 40 की उपघारा (2) के द्वारा शब्द "ऐसी पैयजल योजनाओं जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों"निकाल दिये गये।

(वारा 3 देखिए)

"म[म विकास कर निम्नलिखित देर से देय होगा:-

- (क) किसी मुनिघर या सीरदार की दशा में-
- (1) जिसके द्वारा तथा जिसके . . कुछ नहीं परिवार केसदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में घृत समस्त मृमि का क्षेत्रफल 1. 2647 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न हो
- (2) जिसके द्वारा तथा जिसके..उसके अथवा उसके परिवार के परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर ः सदस्यों द्वारा देय अथवा उत्तर प्रदेश में घृत समस्त मृमि काक्षेत्रफल प्रदेश जमींदारी विनाश और मुमि-1. 2647 हे क्टेयर (3. 125 एकड़) व्यवस्था अधिनियम, 1950 ही से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टेयर धारा 247-ख की उपधारा (5) के अधीन देय समझे जाने वाले (6.25 एकड़) से अधिक न हो म्-राज्स्व का 50 प्रतिशत ।
- (3) जिसके द्वारा तथा जिसके ..उसके द्वारा अथवा उसके शारवार के परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर के सदस्यों द्वारा देय मू-राजस्य का प्रदेश में वृत समस्त मृमि का क्षेत्रफल 100 प्रतिशत। 2. 5293 हेक्ट्रेयर (6. 25एकड) से

अधिक हो किन्तु 5.0586 हेक्टेयर

(12.50 एकड़) से अविक न हो

(4) जितके द्वारा तथा जिसके .. उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के परिवार के सदस्यो द्वारा मिलाकर उत्तर सदस्यों द्वारा देव मू-राजस्व का 1 ५० प्रतिशत। प्रदेश में बत समसा मुमिका क्षेत्रफल 5. 0586 हेक्टेयर (12.50 ए हड़)

से अधिक हो

(ख) किसी मध्यवर्ती की दशा में .. उसके द्वारा देय मू-राजस्व का 150

स्पटीकरण-इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए:-

(क) परिवार के अन्तर्गत कोई व्यक्ति उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त ही या नहीं है ।

(ख) 1950 ई॰ का उत्तर प्रदेश जमीदार विनाश और मूर्म-व्यवस्था अधिनियम की धारा 247-ख की उपवारा (2) के अन्तर्गत अंशों की-अवधारण अन्तिम और बन्धनकारी होगा।"

के स्थानपर 1975 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं 0 8 की बारा 33 द्वारा निम्तांकित अनुमुची प्रतिस्थापित की गईथी जिसे 1976 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संस्था 35 की घारा 41 द्वारा निकाल दिया गया:--

## (घारा 3 देखिए)

"मृमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा--

क-किसी मूमिषर, सीरदार अथवा सरकारी पट्टेदार की दशामें---

- (1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में भूत समस्त मूमि का.. कुछ नहीं। क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक नही
- (2) जिसके द्वारा तथा जिसके परि- उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा घृत मृमि के वार्षिक मृत्य बार हेसदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर की आधी धनराशि। प्रदेश में घुत समस्त मूमि का क्षेत्रक व 1.2647 हेक्टर (3.125ए एइ) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक नहीं
- (3) जिसके द्वारा तथा जिसकेपरिवार उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा वृत भूमि के वार्षिक मूल्य की के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर डेढ गनी घनराशि। प्रदेश में घृत समस्त मृमि क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक
- (4) जिसके द्वारा तथा जिसके परि-. उसके तथा उसके परिवार के सदस्थों वार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में घृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड) से अधिक हो

उसके द्वारा घत मुमि के वार्षिक ल-किसी मध्यवर्ती की दशा में मल्य की ढ़ाई ग्नी धनराशि।

द्वारा युन मुमिके नाषिक मुल्य

की उाई ग्नी धनराशि।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसका पत्नी तथा आवश्यक बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयक्त हों ा नहीं है।" पी॰ एस॰ यृ॰ पी॰-39 सा॰ (राजस्व)--9-3-77--1,600 (हिन्दी)

तिथान पुरस्कालय । (राजकीय प्रकाशन) उत्तः भदश, लक्षनकः

# उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4-8-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8-8-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

('सारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19-8-1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22-8-1972 ई० को प्रकाशित हुंगा)

प्रामीण विकास की कतिपय योजनाओं के लिए रक्षित संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से कृषि भूमि पर कर बारोपित करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

## ग्रिघिनियम

भारत गणराज्य के तेईसर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रवेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

संक्षिप्त माम, प्रसार तथा प्रारम्भ

- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह 1 जुलाई, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2-जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

परिभाषाएं

(क) 'मध्यवर्ती' का तात्पर्य स्वामी, मातहतवार, अवना मालिक, ठेकेवार, अवध में पट्टेबार बवामी या इस्तमरारी, दवामी काश्तकार, हिस्सेबार (परगना असकोट के हिस्सेबार से भिन्न) अपनी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो किसी खायकर द्वारा धृत न हो, परगना असकोट के हिस्सेबार अपनी ऐसी भूमि के संबंध में जो किसी गुजारेबार अथवा खायकर द्वारा धृत न हो अथवा परगना असकोट के गुजारेबार से है;

(उद्देश्य ग्रौर कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 4-8-1972 ई० का सरकारी ग्रसाधारण गजट देखिये।)

- (ख) 'खायकर' का वही तात्पर्य है जो कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजनों में प्रयोजन भौमिक अधिकार से संबंधित वर्तमान विधि में उक्त पद के लिए दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत मौक्सीदार या हलबन्दी माफीदार नहीं है;
- (ग) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट भूमि से हैं जिसके सम्बन्ध में राजस्व का निर्धारण या भुगतान किया जाय या किये जाने के लिए दायी हो, तथा जो—
  - (1) किसी भूमिघर या सीरदार द्वारा; या
  - (2) किसी मध्यवर्ती द्वारा, यदि भूमि उसकी निजी जीत में हो, या उसकी सीर या खुदकास्त या बाग के रूप में हो---

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुटपालन भी है, से सम्बन्धित प्रयोजनों के निमित्त, धृत या अध्यासित हो;

- (घ) 'कर' या 'भूमि विकास कर' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन देय कर से है;
- (डः) पद 'अदना मालिक' और 'मातहतदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० लेंड रेवेन्य ऐक्ट, 1901 में दिये गये हैं;
- (च) पद 'कृषि वर्ष', 'बाग', 'खुदकास्त', 'अवध में पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी', 'दवामी कास्तकार', 'सीर' और 'ठेकेदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 में दिये गये हैं;
- (छ) पद 'भूमिघर', 'सीरदार' और 'स्वामी' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये 1950 ई० का उत्तर प्रदेश अमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये हैं; और
- (ज) पद 'हिस्सेदार' का वही अर्थ है जो कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 में उसके लिये दिया गया है।

करारोपण

3—प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये सभी भूमि पर अनुसूची में निर्विष्ट वर से एक कर को भूमि विकास कर कहलायेगा भारित तथा आरोपित किया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में, उक्त कर केवल आधा भारित तथा आरोपित किया जायगा तथा उसका भुगतान किया जायगा।

वसुली की रोति

4—िकसी भूमि पर आरोपण, और भुगतान के प्रयोजनार्थ, भूमि विकास कर ऐसी भूमि के संबंध में वेय भू-राजस्व का भाग समझा जायगा और उसमें सिम्मिलित किया जायगा, और तद्नुसार, कर के सम्बन्ध में, यथास्थित 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-ध्वस्या अधिनियम का अध्याय 10 (धारा 247—स और बन्दोबस्त से संबंधित उपबन्धों को छोड़कर) या यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 8 के उपबन्ध और उक्त उपबन्धों के संबंध उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये कोई नियम आवश्यक परिवर्तनों सिहत उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राजस्व के संबंध में लागू होते हों :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में कर मू-राजस्व की रबी किस्त का भाग समझा जायगा तथा उसमें सम्मिलित किया जायगा।

- 5—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहत निधि से भूमि-विकास कर के महे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि में से साठ प्रतिशत के बराबर धनराशि निकालेगी और उसे एक पृथक् निधि में जमा करेगी जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास निधि कहलायेगी, और उक्त निधि में इस प्रकार की धनराशि का जमा किया जाना राज्य की संहत-निधि पर भारित व्यय होगा।
- (2) उत्तर प्रदेश प्रामीण-विकास निधि से किसी भी धनराशि का, राज्य के प्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय, न तो भुगतान किया जायगा और न ही उसका प्रयोग किया जायगा:—

(क) सिचाई;

- (ल) चिकित्सा संबंधी सुविधायें, और सार्वजनिक स्वास्थ्य;
- (ग) सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण ;
- (घ) विद्युतीकरण;
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पेयजल सम्भरण।

यू० वी ऐस्ट संबं 3, 190 यू० चेर प्रवे ऐस्ट संबंधितय 17, 19 त 3 उत्तर प्रवे 1 अधिनयर प्रवे संब्या क्रिय 1951 त 2 उत्तर प्रवे 7 अधिनिया संब्या 1 1960

∮र !

पादे

धा

72

प्रवेश

नयम

33,

(प्रदेश नियम

ý 26,

17

**उ**पयोग

- (3) उक्त निधि, जिसके अन्तर्गत उसके जमा खाते की धनराशि का निवेश या पुनर्निवेश भी है, का अनुरक्षण और संचालन इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगा।
- (4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार, संहत निधि में से भूमि विकास कर के मद्दे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि में से बालीस प्रतिशत के बराबर धनराशि निकालेगी, और——
  - (क) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 99 के अधीन स्थापित जिला निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे;
  - (ख) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के पचीस प्रतिशत के बराबर धनराशि में से पचास कास रुपयों की धनराशि, राज्य विद्युत् परिषद् को, ऐसे प्रामों में जहां विद्युतीकरण हो चुका हो, सड़कों पर रोशनी के लिये प्रयुक्त बिजली के लेम्पों को ऊर्जा के यथोचित सम्भरण हेतु देगी और शेष को उक्त धारा 99 के अधीन स्थापित क्षेत्र निधियों तथा यू० पी० पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 32 के अधीन स्थापित गांव-निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।
- (5) उपधारा (4) में उल्लिखित धनराशियों का उस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यय राज्य की संहत निधि पर भारित होगा।
- (6) उत्तर, प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 या यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, 1947, जैसी भी दशा हो, में किसी बात के होते हुये भी,—

र प्रवेश नियम 11 33, 61 र प्रवेश नियम

П 26, ∰ 47

ू प्रदेश

नियम

£ 33,

( प्रदेश

नियम

1 26,

17

61

- (क) कोई जिला परिषद् जिला निधि में इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का, सिवाय प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा सड़कों के निर्माण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना, कार्यों के प्रयोजनार्थ, न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी;
- (ख) कोई क्षेत्र समिति या गांव सभा, क्षेत्र निधि या, यथास्थिति, गांव निधि में इस प्रकार जमा की गई बनराशियों को सिवाय ऐसी पेयजल योजनाओं, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, सड़कों व पुलियों व नालियों के निर्माण और अनुरक्षण, और विद्युतीकरण के प्रयोजनार्थ, न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी।
- 6—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

िनयम <mark>बनाने की</mark> शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यक्षीच्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या
एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रस्ने जायेंगे, और जब तक कि कोई
बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा
अधिक्ष्मण्यानों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के
लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिश्चन्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले
की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

र प्रदेश ग्रदेश या 11, 72

7—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई किया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई किया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 16 जून, 1972 की प्रवृत्त हो गया था। निरसन तथा अपवाद

ग्रनुसूची (धारा 3 देखिये)

भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा :---

- (क) किसी भूमिधर या सीरदार की दशा में--
- (1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के कुछ नहीं। सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से प्रधिक न हो।

- (2) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में घृत समस्त मूमि का क्षेत्रफल 1 2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से प्रधिक किन्तु 2. 5293 हेक्टर (6. 25 एकड़) से अधिक नहीं।
- (3) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त मिम का क्षेत्रफल 2. 5293 हेक्टर (6. 25 एकड़) सें प्रधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो ।
- (4) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में घृत समस्त भूमिका क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो।
  - (ख) किसी मध्यवर्ती की दशा में।

उसके श्रथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देव भ्रथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भौर भॅमि-व्यवस्था ग्रधिनियम, 1950 की धारा 247-ख की उपधारा (5) के प्रधीन देय समझे जाने वाले भू-राजस्य का 50 प्रतिशत ।

उसके द्वारा श्रथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भु-राजस्व का 100 प्रतिशत।

उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत ।

उसके द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत।

स्पद्धीकरण-इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए :---

- (क) 'परिवार' के ग्रन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पित या उसकी पत्नी तथा ग्रवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं, है ;
- (ल) 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ग्रीर भूमि-व्यवस्था ग्रधिनियम की धारा 247-ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंशों का श्रवधारण अन्तिम और बन्धनकारी होगा।

THE THE LOCK SECTION AND A CONTRACT OF A